संख्याः 1121 / 2016–96(06) / 2015 टी.सी.–1

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 16 मई, 2016

विषय– 14वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदान की धनराशि अवमुक्त कराने हेतु लगायी गयी शर्तो के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने के लिये धनराशि के संक्रमण की संस्तुति की गयी है। संस्तुत की जाने वाली कुल राशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत राशि मूल अनुदान व शेष 10 प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में पंचायतों को संक्रमित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

2. 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कार्यो/योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता, अधिकतम जनसहभागिता एवं आय के स्रोतों में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2016–17 से कार्य निष्पादन अनुदान की धनराशि प्राप्त करने हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैंः–

(1) लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना, जो कि उस वर्ष, जिसके लिए ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, उससे दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से सम्बन्धित नही होगें।

(2) ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढोत्तरी करनी होगी।

(3) कार्य निष्पादन अनुदान के वितरण में उन ग्राम पंचायतों को वरीयता दी जायेगी, जिनके द्वारा उस वर्ष, जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, उससे दूसरे पूर्ववर्ती वर्ष के समस्त कार्यों/योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) कराया गया हो।

JD

3. अतः उपरोक्त दिशा–निर्देशों के क्रम में कार्य निष्पादन अनुदान हेतु ऐसी ग्राम पंचायतें पात्र होंगी, जिनके द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन सुनिश्चित किया गया होः–

निदेशक
पंचायतीराज
उत्तराखण्ड, देहरादून
17/5/2016

(क) वित्तीय वर्ष 2014–15 के सभी अभिलेखों की लेखा परीक्षा करायी गयी हो।

(ख) नये आय के स्रोत चिन्हित कर ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि की गयी हो अथवा पूर्व से विद्यमान स्रोतों से ही आय में कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि की गयी हो।

4. उपरोक्तानुसार 02 शर्तों का अनुपालन पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों में से ऐसी ग्राम पंचायतों को वरीयता दी जायेगी, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2014–15 के कार्यों/योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण भी कराया हो। इस प्रकार पात्र ग्राम पंचायतों में कार्य निष्पादन अनुदान की धनराशि का वितरण निम्न प्रकार किया जायेगा :

1. सर्वप्रथम सभी ग्राम पंचायतों को उन्हें आवंटित मूल अनुदान की 10 प्रतिशत राशि के बराबर कार्य निष्पादन अनुदान दिया जायेगा।

AAO

1345
20/5/16

20/8/16

संयुक्त निदेशक
निदेशालय पंचायतीराज

2. इस प्रकार वितरण के पश्चात अवशेष राशि, यदि उपलब्ध हो, की 50 प्रतिशत राशि ऐसी ग्राम पंचायतों को आवंटित की जायेगी, जिन्होंने संगत वर्ष का सामाजिक अंकेक्षण भी कराया हो।
3. अन्तिम अवशेष राशि को सभी पात्र पंचायतों के मध्य समानुपात से वितरित कर दिया जायेगा।

5. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार वर्ष 2016–17 में कार्य निष्पादन अनुदान दावा प्रस्तुत किये जाने हेतु पात्र ग्राम पंचायतों का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, जिसमें शर्तों के अनुपालन से सम्बन्धित साक्ष्य अनिवार्य रूप से संलग्न हों, जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायें। जिला स्तर पर परीक्षणोपरान्त जिलाधिकारी की संस्तुति से प्रस्ताव शासन/निदेशक, पंचायतीराज को प्रस्तुत कियें जायेंगे, जिसके आधार पर कार्य निष्पादन अनुदान की राशि का संक्रमण किया जा सकेगा।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1121/2016–96(06)/2015 टी.सी.–1। तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, पंचायतीराज,उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार)
अपर सचिव।